

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

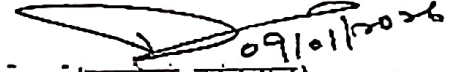
क्रमांक प.01(02)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 09.01.2026

::अधिसूचना::

इग्ज एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 36ए बी की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजस्थान राज्य में नवगठित जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलोंदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली, सलूम्वर के न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड ए व बी, धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (ए) व (सी), धारा 28, धारा 28ए व धारा 28बी तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के तहत मिलावटी एवं नकली दवाओं से संबंधित दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिये विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,



(राजेश चंद काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

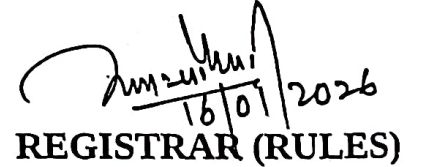
RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/23/2025/136

Date: 16/01/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The Concerned District & Sessions Judges.
3. The Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics / Budget/ Building / Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.



REGISTRAR (RULES)

2